स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. **509/11/2004**-जे.एस. I /**22-57** तारीख **: 4** फरवरी, **2016**

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : रिट याचिका **(**सिविल**)** सं. **4912/1998 (**कृषक भारत बनाम भारत संघ एवं अन्य**)** में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय - अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामनिर्देशन पत्रों के साथ बिजली, पानी एवं टेलीफोन की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसियो से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र'।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया आयोग के निम्नलिखित आदेश एवं पत्र को अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी रजिस्ट्रीकृत गैरमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव/चेयरपर्सन/संयोजक को प्रदान करें। उनसे प्राप्त पावती भी यथाशीघ्र आयोग को अग्रेषित करें।

(1) आदेश सं. **509/11/2004**-जेएस.I तारीख **3** फरवरी, **2016 (**प्रति संलग्न**)**

(2) पत्र सं. **509/11/2004**-जेएस. I तारीख **3** फरवरी, **2016 (**प्रति संलग्न**)**

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,

(एन टी. भूटिया**)**
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 509/11/2004-जे.एस.। तारीख : 03 फरवरी, 2016

आदेश

विषय : रिट याचिका (सिविल सं. 4912/1998 (कृषक भारत बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय - अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामनिर्देशन पत्रों के साथ बिजली, पानी एवं टेलीफोन की सुविधा प्रदान करनेवाली एजेंसियो से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र'।

यत: सी.ए. (सी) सं. 2002 का 490 में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 13.03.2003 के निर्णय के अनुसरण में जारी अपने तारीख 27.03.2003 के आदेश सं. 3/ई आर/2003/जेएस.।। के तहत, आयोग ने निदेश दिया था कि संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों के लिए नामनिर्देशन दाखिल करने वाले अभ्यर्थी अपने आपराधिक पूर्ववृत्तों , यदि कोई हैं, परिसंपत्तियों, देनदारियों एवं शैक्षिक अर्हताओं की घोषणा करते हुए एक शपथ पत्र दाखिल करेंगे तथा आयोग ने ऐसे अन्य पत्र के लिए फॉर्मेट भी विनिर्दिष्ट किया है; और

यत: कोई लोक पद धारित करने वाले या धारित कर चुके अभ्यर्थियों की दशा में, फॉर्मेट में यह विनिर्दिष्ट किया गया कि 'सरकारी देयताओं के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र' भी प्रस्तुत किया जाएगा।

यत: 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने में कठिनाई के संबंध में कुछ स्थानों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, आयोग ने अपने तारीख 09.03.2004 के पत्र सं. 3/ईआर/2004/जेएस.।। के तहत सभी संबंधितों को यथा सूचित 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करने की अपेक्षा को समाप्त करने का निर्णय लिया है; और

अत: माननीय दिल्ली उच्च नयायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 4912/1998 (कृषक भारत बनाम भारत संघ एवं अन्य) में तारीख 07 अगस्त, 2015 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निदेश दिया : -

"भारत निर्वाचन आयोग, इस याचिका में अपने पूर्व के आदेशों में यथा निदेशित, संसद या विधान सभा का निर्वाचन लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामनिर्देशन के साथ, किन्हीं लोक देयताओं के बकाया नहीं होने के बारे में शपथ पत्र, तथा यदि ऐसा अभ्यर्थी किसी सरकारी आवास में रह रहा है या पिछले 10 वर्षों में रहा हो, तो उसके द्वारा उक्त आवास को बिजली, पानी एवं टेलिफोन मुहैया कराने वाली एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर जोर देता रहे।"

अत: अब, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को उपर्युक्त निदेश के अनुसरण में, आयोग एतद् द्वारा निदेश देता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी नामनिर्देशन दाखिल करते समय, यदि वह पिछले 10 वर्षों के दौरान किसी सरकारी आवास में रहा था, तो किराया सहित बिजली, पानी एवं टेलिफोन मुहैया कराने वाली एजेंसियों से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' के साथ इस आदेश में अनुबंध के रूप में संलग्न फॉर्मेट में अतिरिक्त शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा। यह शपथ-पत्र प्ररूप-26 में दाखिल किए जाने के लिए अपेक्षित शपथ पत्र के अतिरिक्त होगा और इसको शपथ आयुक्त, या नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करवाया जाएगा। इस शपथ पत्र को दाखिल करने के लिए अधिकतम सीमा, नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख को अपराह्न 3.00 बजे होगी। 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' के साथ शपथ पत्र को दाखिल नहीं किए जाने को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 के प्रयोजनों के लिए सारवान प्रकृति का दोष माना जाएगा।

आयुक्त के आदेश से,

(अनुज जयपूरियार)
सचिव

<u>अनुबंध</u>

<u>अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला अतिरिक्त शपथ पत्र</u>

..... निर्वाचन क्षेत्र से **.....** **(**सदन का नाम**)** का निर्वाचन

मैं **.....** **(**अभ्यर्थी का नाम**)**, **.....** का पुत्र/पुत्री/पत्नी, आयु **.....** वर्ष, **.....** का निवासी, उपर्युक्त निर्वाचन में एक अभ्यर्थी, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और शपथ लेकर निम्नलिखित कथन करता हूं **:** -

(i**)** मुझे वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले **10** वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय कोई सरकारी आवास आबंटित नहीं किया गया है।

या

(ii**)** मुझे वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले **10** वर्षों की अवधि के दौरान **.....** **(**आवास का पता लिखें**)** में सरकारी आवास प्रदान किया गया है और **.....** **(**तारीख निर्वाचन घोषित किए जाने वाले माह से पूर्व के तीसरे माह की अंतिम तारीख होनी चाहिए**)** की स्थिति के अनुसार आवास के लिए किराये या बिजली, पानी और टेलिफोन मुहैया कराने वाली एजेंसियों के लिए कोई बकाया राशि के भुगतान किए जाने के लिए कोई बकाया राशि या देय राशि नहीं है।

(iii**)** संबंधित एजेंसियों से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" इसके साथ संलग्न है।

सत्यापन

मैं, उपर्युक्त अभिसाक्षी, एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं और घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है।

..... में **.....** के दिवस **.....** को सत्यापित

अभिसाक्षी

स्पीड पोस्ट/ई-मेल द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. **509/11/2004**-जेएस. I/**519-574** तारीख : **3** फरवरी, **2016**

सेवा में,

1. सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य दलों के अध्यक्ष/महासचिव/चेयरपर्सन/संयोजक
2. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल का अध्यक्ष/महासचिव/चेयरपर्सन/संयोजक

विषय : रिट याचिका (सिविल) सं. 4912/1998 (कृषक भारत बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय - निर्वाचन में खड़ा करने वाले राजनैतिक दलों को यह अधिदेशित करने के लिए प्रस्ताव कि अभ्यर्थी के पास लोक देय राशियों का कोई बकाया नहीं है।

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख **07** अगस्त, **2015** के निर्णय की प्रति इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है। आपका ध्यान निर्णय के पैरा **13** के अधीन बिंदु ञ में निदेश, जिसे नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है, की ओर आकृष्ट किया जाता है :-

> " ञ. भारत निर्वाचन आयोग छह माह के भीतर किसी निर्वाचन में अभ्यर्थियों को खड़ा करने वाले राजनैतिक दलों से यह अपेक्षा करने की संभावना पर विचार करे कि वे किसी निर्वाचन में अपने अभ्यर्थियों को खड़ा करने की पूर्व-शर्त के रूप में यह शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि उनके पास किसी बिजली, पानी, टेलिफोन या अन्य सावर्जनिक देय राशियों का बकाया नहीं है।

आयोग इस बिंदु पर राजनैतिक दलों की राय प्राप्त करना चाहता है। आपका उत्तर, यदि कोई है, **15** फरवरी, **2016** तक प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि दल से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि आपके दल को इस संबंध में कुछ विशेष नहीं कहना है।

भवदीय

(अनुज जयपूरियार**)**
सचिव
दूरभाष/फैक्स सं.**011-23052243/011-23052059**